

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, माननीय स०वि०प० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-1/212/703 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>कृपया मंत्री, Disaster Management विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:</p> <p>(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड के धुरियाही पंचायत में पिछले वर्ष 2025 में गंगा नदी के कटाव से सैकड़ों घर नदी में समा गए जिससे यहाँ के किसानों की खेती गृहस्थी छिन गई है;</p> <p>(ख) क्या यह सही है कि छह वार्डों वाली धुरियाही पंचायत के वार्ड नं० 3 के बाबलबन्नी, वार्ड नं० 4 एवं वार्ड नं० 5 के बुढियाटिक्कर और वार्ड नं० 5 के मरगामा गाँव के सैकड़ों घरों को गंगा नदी के कटाव से क्षति पहुँची है;</p> <p>(ग) क्या यह सही है कि इस वर्ष धुरियाही पंचायत में कटाव निरोधात्मक कार्य नहीं कराया गया तो करोड़ों की लागत से बने सरकारी भवन, कई प्राथमिक विद्यालय, मध्य एवं उच्च विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के साथ-साथ पूरी पंचायत कटाव से गंगा नदी में समा जाएगी;</p> <p>(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि धुरियाही पंचायत को गंगा नदी के कटाव से बचाव के लिए कौन सी कदम उठाएगी तथा इसके लिए कौन सी योजना है, यदि हाँ, तो कबतक।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत धुरियाही पंचायत गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित है।</p> <p>बाढ़ अवधि 2025 के दौरान प्रश्नगत ग्राम मरगाहा एवं बुढिया टिक्कर के समीप कटाव होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा कर कटाव को नियंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम मरगाहा के सुरक्षार्थ बाढ़ 2026 पूर्व कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को समर्पित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।</p> <p>बाढ़ 2025 के दौरान ग्राम बाबरबन्नी के समीप नदी तट का आंशिक क्षरण हुआ है परन्तु आबादी प्रभावित नहीं है एवं स्थल सुरक्षित है।</p> <p>बाढ़ अवधि 2026 में कटाव होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा।</p> <p>प्रश्नगत स्थलों के समीप गंगा नदी के कटाव से घर नदी में समा जाने की सूचना प्राप्त नहीं है।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(क0)-06-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 212वें सत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-01/212/703 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(क0)-06-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(क0)-06-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(क0)-06-14/2026-

1280

पटना, दिनांक- 18/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव